

तारीख
हुकम

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

२२/१/२६

कावली पेय है वकील फ़ाकार उप नई (प्रकरण) में कस पूर्व में दौचुकी है। पत्रावली का आद्योपात्त उपलोक्य, अध्यापक व सनत उपरान्त हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि परिवारीगण ~~क~~ 1 त 3 व 5 त 8 द्वारा फ़ुडर प्रोप-07R11 CPC स्वीकार किमे फ़ाने योग्य हैं।

अतः प्रोप-07R11 CPC स्वीकार किमा जाता है व वाद खारिज किमा जाता है। फ़ावली फ़ासल शुमार दौकट नामक ले कक की जामत हाकिम इफ़तर हो।

निर्णय आज दिनांक २२/१/२६ को सुनाया गया।